RojgarHub.com - Rojgar Samachar Daily

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपरस्पेशलिटी विभाग के अन्तर्गत सह प्राध्यापक के कुल 36 (छत्तीस) एवं प्राध्यापक के कुल 25 (पच्चीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

1. (क) सह प्राध्यापक पद हेतु रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नवत है:–

क्र॰ सं॰	विज्ञापन संख्या	विभाग का नाम	रिक्ति की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
1.	01/2023	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	02	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (थोरेसिक सर्जरी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता 1. कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एमसीएच/ डीएनबी 2. सामान्य सर्जरी में एमएस/डीएनबी	1. किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में अथवा संक्रमण काल के दौरान उल्लिखित विषय में, 2 साल के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में। **नोटः–विज्ञापन संख्या–01/2023 के लिए संक्रमण काल के दौरान उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केन्द्र में सुपरस्पेशियलिटी के संबंधित नये विषय में 3 साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।** 2. कम–से–कम 2 शोध प्रकाशन होना चाहिए। केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जायेगा, जो मेडलाईन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। 3. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। 4. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
2.	02/2023	कार्डियोलॉजी	05	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (कार्डियोलॉजी)	
3.	03/2023	इन्डोक्राइनोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (इन्डोक्राइनोलॉजी)	
4.	04/2023	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)	
5.	05/2023	न्यूरो सर्जरी	06	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (न्यूरो सर्जरी)	
6.	06/2023	न्यूरोलॉजी	06	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (न्यूरोलॉजी)	
7.	07/2023	नेफ्रोलॉजी	06	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (नेफ्रोलॉजी)	
8.	08/2023	नियोनेटोलॉजी	02	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (नियोनेटोलॉजी)	
9.	09/2023	प्लास्टिक सर्जरी	05	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी)	
10.	10/2023	शिशु सर्जरी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (पीडीयाट्रिक सर्जरी)	
11.	11/2023	यूरोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (यूरोलॉजी)	
		कुल योग	**36**		

नोटः– राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी विभागों में नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है।

(ख) __वेतनमान__ – अपुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100/– एवं ग्रेड पे–7600 तथा सातवें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर–12

2. (क) प्राध्यापक पद हेतु रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नवत है:–

क्र॰ सं॰	विज्ञापन संख्या	विभाग का नाम	रिक्ति की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
1.	12/2023	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	02	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (थोरेसिक सर्जरी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता 1. कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एमसीएच/डीएनबी 2. सामान्य सर्जरी में एमएस/डीएनबी	1. किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में अथवा संक्रमण काल के दौरान उल्लिखित विषय में, 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। **नोटः–विज्ञापन संख्या–12/2023 के लिए संक्रमण काल के दौरान उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केन्द्र में सुपरस्पेशियलिटी के संबंधित नये विषय में 3 साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।** 2. कम–से–कम 4 शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम–से–कम दो) होने चाहिए। केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जायेगा, जो मेडलाईन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन
2.	13/2023	कार्डियोलॉजी	03	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (कार्डियोलॉजी)	
3.	14/2023	इन्डोक्राइनोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (इन्डोक्राइनोलॉजी)	
4.	15/2023	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)	
5.	16/2023	न्यूरो सर्जरी	04	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (न्यूरो सर्जरी)	
6.	17/2023	न्यूरोलॉजी	04	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (न्यूरोलॉजी)	
7.	18/2023	नेफ्रोलॉजी	04	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (नेफ्रोलॉजी)	
8.	19/2023	नियोनेटोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (नियोनेटोलॉजी)	
9.	20/2023	प्लास्टिक सर्जरी	03	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी)	

10.	**21/2023**	शिशु सर्जरी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (पीडीयाट्रिक सर्जरी)	इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। 3. चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। 4. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
11.	**22/2023**	यूरोलॉजी	01	डीएम/एमसीएच/डीएनबी (यूरोलॉजी)	
		कुल योग	**25**		

नोटः—(1) राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी विभागों में नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है।

(2) शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण एवं अनुसंधान अनुभव से संबंधित उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि—17.02.2023 तक का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(ख) **वेतनमान** – अपुनरीक्षित वेतनमान 37400—67000/— एवं ग्रेड पे—8700 तथा सातवें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर—13

3. **उम्र सीमा** – दिनांक 01.08.2022 को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा—66 वर्ष एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त (67 वर्ष) होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. **चयन का आधार**—

1. शैक्षणिक योग्यता के लिए मूल्यांकन :—

अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किए जाएंगे –

(क)	एम.बी.बी.एस. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
		5	4	3	2	1

नोटः—(1) एक या अधिक एम.बी.बी.एस. परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलें में, खास एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(2) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ.एम.जी.ई.) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।

(ख)	भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
		5	4	3	2	1

नोटः आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलें में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

(ग) एम.डी./एम.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता – 10 अंक

(घ) उसी स्पेशलिटी में पीएच.डी., डी.एम., एम.सी.एच. – 10 अंक

(ड.) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) – 10 अंक

नोटः—बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान, जो एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त हो) क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी।

(च) साक्षात्कार – 06 अंक

➢ **साक्षात्कार के समय और अवसर दिये जाने पर भी निर्धारित अवधि के अंदर अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं देने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शून्य अंक माना जायेगा, चाहें साक्षात्कार में वास्तविक प्राप्तांक कुछ भी हो। इसी प्रकार साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को भी असफल/अयोग्य ही घोषित किया जायेगा।**

नोटः—(1) ऐसे एम.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय एम.बी.बी.एस. परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए एक अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(3) अधिकतम 10 अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन

का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 02 अंक (एन.एम.सी. की अद्यतन दिशा–निर्देश के अनुरूप जर्नल प्रकाशन मान्य होगा)।

(4) लेखक प्रथम तीन में से अथवा Corresponding author होना चाहिए।

(5) सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी., डी.एम., डीएन.बी., एम.सी.एच. (Super Speciality) की डिग्री एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों से होनी चाहिए।

(7) अभ्यर्थी अपने एन.एम.सी. अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर से प्राप्त निबंधन प्रमाण–पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि करा लेंगे।

5. आवश्यक निर्देश :–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(ii) सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

नोटः–(1) ऑनलाईन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोटः–(2) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

1. मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
2. डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी. प्रमाण–पत्र।
3. किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में अथवा संक्रमण काल के दौरान उल्लिखित विषय में, सह प्राध्यापक हेतु 2 साल के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में एवं प्राध्यापक पद हेतु 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शिक्षण अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
4. विज्ञापन संख्या–01/2023 एवं 12/2023 के लिए संक्रमण काल के दौरान उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केन्द्र में सुपरस्पेशियलिटी के संबंधित नये विषय में 3 साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। संबंधी प्रमाण पत्र।
5. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रमाण पत्र।
6. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रमाण पत्र।
7. एम.बी.बी.एस. प्रमाण पत्र।
8. एम.बी.बी.एस. की सभी परीक्षाओं/सत्र का उत्तीर्ण अंक पत्र।
9. एम.बी.बी.एस. की सभी परीक्षाओं/सत्र का अनुत्तीर्ण अंक पत्र (अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में)।
10. एम.बी.बी.एस. के सभी परीक्षाओं में उत्तीण/अनुत्तीर्ण होने संबंधी अवसर प्रमाण पत्र (Attempt Certificate)।
11. विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना हेतु विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ.एम.जी.ई.) से संबंधित प्रमाण–पत्र।
12. एम.डी./एम.एस./पीएच.डी. प्रमाण–पत्र।
13. चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो।
14. सभी प्रकाशित जर्नल्स की प्रति।
15. एन.एम.सी. अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र।
16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
18. बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
19. केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
20. पहचान पत्र (फोटोयुक्त) ऑनलाइन आवेदन पत्र की कंडिका–6 के अनुरूप।
21. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

22. ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

6. शुल्कः–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 100/–(एक सौ) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 25/– (पचीस) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए– 25/– (पचीस) रूपये

(iv) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 100/–(एक सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं बिहार राज्य के स्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

7. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैः</u>– (i)

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक–20.01.2023
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक–17.02.2023

(ii) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए साक्षात्कार आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक–24.02.2023 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगेः–

(i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता हैः–

(क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर–रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर–रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेगें। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाईन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा, इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार हैः–

सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसेः– फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	(क) ऑनलाईन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। (ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा। (ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
मोबाईल/ई–मेल में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में।	Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई–मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में।	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iv) उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई०डी० अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई॰डी॰ अंकित नहीं करेंगे।

(vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vii) **इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(ix) विज्ञापन के लिए आवेदन भरने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(xi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(xii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

(xiii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

8. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।

10. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।

11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

12. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।च

13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6.1.23

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।